# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in


पत्र संख्या- 350/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.09.2025

### प्रेस-विज्ञप्ति, थाना- देवगांव, जनपद- आजमगढ़

**थाना देवगांव पुलिस टीम द्वारा न्यू वेलकल फैमिली रेस्टोरेन्ट में पिता ने अपनी पुत्री व उसके पुरुष मित्र को गोली मारने से इलाज के दौरान युवती की हुई मृत्यु के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

**अपराध का विवरण:-**

**दिनांक-26.09.2025 को** वादिनी रंजना सिंह पत्नी जीतबहादुर सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाव आजमगढ़ ने थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी के बेटे आदित्य सिंह व उसके दोस्त अक्षरा सिंह जो लालगंज भीरा रोड़ के पास न्यू वेलकम रेस्टोरेन्ट में बैठे थे कि विपक्षी नीरज सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह निवासी ग्राम पकड़ी खुर्द थाना देवगाव आजमगढ़ द्वारा दोनो को साथ देख आवेश में आकर लाईसेन्सी पिस्टल से अपनी पुत्री आकांक्षा सिंह व वादिनी के पुत्र आदित्य सिंह पर फायर कर दिया गया।

जिसमें दोनो को गोली लगी, जिससे अक्षरा सिंह का ईलाज के दौरान मृत्यू हो गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 346/2025 धारा 103(1),109(1) बीएनएस बनाम नीरज सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह निवासी ग्राम पकड़ी खुर्द थाना देवगाव आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्र0नि0 विमल प्रकाश राय द्वारा संपादित किया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी देवगांव को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में-

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 27.09.2025 को प्र0नि0 विमल प्रकाश राय को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि लालगंज में हुई हत्या की घटना का अभियुक्त नीरज सिंह अपने मुकदमे के पैरवी के लिए अपने परिचित से मिलने रानी सराय थाना क्षेत्र में गया है, जो सेमरहा अण्डर पास के पास थाना रानी सराय के आगे अपने परिचित का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर प्र0नि0 विमल प्रकाश राय मय हमराह के सेमरहा अण्डर पास थाना रानी की सराय से अभियुक्त नीरज सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह निवासी ग्राम पकड़ी खुर्द थाना देवगाव आजमगढ़ को समय 12.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

**पूछताछ का विवरण:-**

पूछताछ पर पकड़े गये व्यक्ति ने बताया कि आदित्य सिंह पुत्र जीतबहादुर सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ मेरी लड़की अक्षरा सिंह से बातचीत करता था। मैने दोनो को पहले काफी समझाया था लेकिन नही मान रहे थे। कल दिनांक 26.09.2025 को मुझे जानकारी मिली कि दोनो न्यू वेलकम रेस्टोरेन्ट सिविल लाइन कटघर लालगंज जनपद आजमगढ़ में बैठे है। इस बात पर मै तत्काल वहां पहुँचा और उनको वहां बातचीत करते देखकर आवेश में आकर अपने लाइसेन्सी पिस्टल से अपनी लड़की अक्षरा सिंह व उसके दोस्त आदित्य सिंह को गोली मार दिया था। जिससे मेरी लड़की अक्षरा सिंह की मृत्यु हो गयी है।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. एक अदद पिस्टल व 03 कारतूस लाइसेन्सी

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. नीरज सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह निवासी ग्राम पकड़ी खुर्द थाना देवगाव आजमगढ़

**अपराधिक इतिहास:-**

मु0अ0सं0 346/2025 धारा 103(1),109(1) बीएनएस व 27(1)/30 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम**

1. प्र0नि0 विमल प्रकाश राय थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 सुरेश सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

3. हे0का0 ओम प्रकाश सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़